पंजीकरण सं. आर.एन. 40596/83 डाक पंजी. संख्या-जी-3-डी.एल. (एन.)/084/24-26 प्रकाशित 16.08.2026 इस अंक का मूल्य 2 रूपये

॥ ओ३म् ॥

युवा उद्घोष

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् (पंजीकृत) का पाक्षिक शंखनाद

Join—http://www.facebook.com/groups/aryayouth/

कार्यालय : आर्य समाज कबीर बस्ती, दिल्ली-*110007*, चलभाष : 9810117464, 9868051444

दानदाताओं से अपील

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के कार्य व गतिविधियों में सहयोग करने हेतु **खाता संख्या 10205148690 स्टेट बैंक आफ इण्डिया,** घन्टाघर, दिल्ली– 110007, **आई. एफ. एस. कोड** SBIN0001280 पर सीधे भेज कर हमें फोन न. **9810117464** पर एस.एम.एस कर दें या **9868051444** पर googlepay कर दें।

–अनिल आर्य

वर्ष-43 अंक-06 भाद्रपद-2083 दयानन्दाब्द 202 16 अगस्त से 31 अगस्त 2026 (द्वितीय अंक) कुल पृष्ठ 4 वार्षिक शुल्क 48 रु.
प्रकाशित: 16.08.2026, E-mail : yuva.udghosh1982@gmail.com aryayouthgroup@yahoogroups.com Website : www.aryayuvakparishad.com

सोनीपत में आर्य युवा संस्कार समारोह सम्पन्न

राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे –राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य

गुरुवार 13 अगस्त 2026, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में युवा संस्कार अभियान के अंतर्गत विजय हाई स्कूल सिक्का कॉलोनी सोनीपत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया ।आचार्य सतीश शास्त्री (दिल्ली)ने यज्ञ करवाया और बच्चों ने यज्ञोपवीत धारण कर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली। मुख्य अतिथि के रूप मैं दिल्ली से पधारे केन्द्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य पहुंचे उन्होंने माता पिता गुरुओं का सम्मान करने की प्रेरणा दी साथ ही राष्ट्र रक्षा का संकल्प दिलवाया उन्होंने कहा कि देश की आजादी में आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान रहा महर्षि दयानन्द सरस्वती से प्रेरणा लेकर अनेको नौजवान आजादी की लड़ाई में कूद पड़े आज उनकी विरासत की रक्षा युवा पीढ़ी ने करनी है स उन्होंने शिक्षा विद मनोहर लाल चावला के पुरुषार्थ को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की श्रीमती प्रवीन आर्य पिंकी के मधुर भजनौ ने समा बाँध दिया। समाजसेवी हरबंस लाल अरोड़ा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के प्रबंधक जितेन्द्र चावला ने कुशल संचालन करते हुए कहा कि हम बच्चों के चरित्र निर्माण पर विशेष जोर देते हैं शालिनी चावला ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

दिल्ली चलो दिल्ली दिल्ली चलो दिल्ली दिल्ली चलो दिल्ली

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद के 48वे स्थापना दिवस के अवसर पर

स्वामी श्रद्धानंद बलिदान शताब्दी समारोह

रविवार 6 सितम्बर 2026 प्रातः 9 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक

स्थानः श्री बृज मोहन मुंजाल सभागार, आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट –1, नई दिल्ली

समारोह अध्यक्ष– डॉ .अशोक कुमार चौहान

मुख्य अतिथि–
श्री हर्ष मल्होत्रा (प्रदेश अध्यक्ष भाजपा)
श्री प्रवेश वर्मा (वरिष्ठ मंत्री दिल्ली सरकार)
श्री मनोज तिवारी (संसद सदस्य)
सुश्री बाँसुरी स्वराज (संसद सदस्य)
श्रीमती शिखा राय (विधायक)
अंजुम मंडल (पार्षद)

आमंत्रित विद्वान– आचार्य अखिलेश्वर जी, आचार्य प्रेमपाल शास्त्री, प्रो. सारस्वत मोहन मनीषी, राष्ट्रीय कवि आचार्य वीरेंद्र विक्रम ठाकुर विक्रम सिंह, विनोद बंसल, श्रुति सेतिया, कृष्ण प्रसाद कौटिल्य, भानु प्रताप वेदालंकार आदि।

प्रीति भोज दोपहर 2.00 बजे। आप सादर आमंत्रित हैं।

भवदीयः–
आनन्द चौहान संरक्षक | राजेन्द्र वर्मा स्वागताध्यक्ष | अरूण बहल स्वागत मन्त्री | अनिल आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष | महेन्द्र भाई राष्ट्रीय महामन्त्री | धर्मपाल आर्य कोषाध्यक्ष | सौरभ गुप्ता संगठन मन्त्री

FCRA धन का 'दान' चाहिए, 'दानव' नहीं

– विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता–विहिप

भारत में विदेशी धन के प्रवेश और उसके उपयोग को लेकर बहस कोई नई नहीं है। एक लंबे समय से, विदेशी सहायता से चलने वाले अनेक संगठन देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, सामाजिक सेवा, धार्मिक गतिविधियों और शोध जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं। ऐसे सभी वैध और पारदर्शी कार्यों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब विदेशी धन का प्रयोग घोषित उद्देश्यों से हटकर राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक अस्थिरता, धर्मांतरण व अवैध गतिविधियों अथवा भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल कार्यों के लिए होने लगे। इसी मूल चिंता को ध्यान में रखते हुए ही विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) बनाया गया। इसे पहली बार आपातकाल (Emergency) के दौरान वर्ष 1976 में बनाया गया था जिसका मूल उद्देश्य उस समय विदेशी फंडिंग और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखना था। बाद में साल 2010 में पुराने कानून को बदलकर एक नया और अधिक सख्त। 2010 अधिनियमित किया गया, जो 1 मई 2011 से प्रभावी हुआ। इस विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम का उद्देश्य विदेशी धन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आने वाला विदेशी धन पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो और उसी उद्देश्य के लिए खर्च हो जिसके लिए उसे अनुमति दी गई है।

FCRA संशोधन को समझने की आवश्यकता–प्रस्तावित कानून को संसद के इसी सत्र में सदन में पेश किए जाने की चर्चा आजकल जोरों पर है। विधेयक का एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन संस्थाओं की विदेशी धन से बनी संपत्तियों और विदेशी योगदान के संबंध में व्यवस्था तैयार करना है जिनका थ्ब्त्। प्रमाणपत्र रद्द हो जाता है, संस्था स्वयं उसे वापस कर देती है अथवा उसका नवीनीकरण नहीं होता। इसके लिए एक Designated Authority (निर्दिष्ट प्राधिकारी) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो ऐसी स्थिति में संपत्तियों के अस्थायी नियंत्रण, उनके प्रबंधन और आगे की व्यवस्था देखेगी। यदि संस्था निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना FCRA पंजीकरण बहाल करा लेती है तो संपत्तियों और अप्रयुक्त विदेशी धन की वापसी का प्रावधान भी है। विधेयक का प्रावधान यह भी कहता है कि यदि इन संपत्तियों में कोई धर्मस्थल आता है तो वहाँ के धार्मिक कार्यकलापों को यथावत जारी रखा जाएगा। विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बदलाव दंड व्यवस्था से जुड़ा है। मौजूदा अधिकतम पांच वर्ष की सजा को घटाकर इसे एक वर्ष करने का प्रस्ताव है। साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण और न्यायिक अपील का रास्ता भी प्रस्तावित किया गया है। अर्थात इसे केवल "विदेशी संस्थाओं पर कार्रवाई" के रूप में देखना अधूरा होगा। असल मुद्दा विदेशी धन के साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित का है।

विदेशी धन पर निगरानी क्यों जरूरी है?

किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए यह सामान्य बात है कि वह अपने देश में आने वाले विदेशी धन के स्रोत और उपयोग पर निगरानी रखे। भारत अकेला देश नहीं है जो ऐसा करता है। अमेरिका सहित अनेक देशों में विदेशी धन, विदेशी एजेंटों, विदेशी संस्थाओं और राजनीतिक प्रभाव से संबंधित अलग–अलग कानून और व्यवस्थाएं हैं। इसलिए भारत द्वारा अपने यहां विदेशी योगदान के लिए नियमन तय करना किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध कार्रवाई मानना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है।

पहले भी अनेक संशोधन हुए हैं–इस कानून में संशोधन भी कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पूर्व वर्ष 1984, 2010, 2016, 2018, 2020 व 2022 में भी इस कानून में विभिन्न पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा संशोधन किए गए। बल्कि वर्ष 2010 में तो इस कानून को पूरी तरह से निरस्त कर एक नया और कठोर कानून बनाया गया था। आंकड़े बताते हैं कि समस्या काल्पनिक नहीं है। गृह मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 के बीच ही 6,600 से अधिक गैर सरकारी संस्थाओं के FCRA पंजीकरण रद्द किए गए थे। एक अन्य आँकड़े के अनुसार विदेशी पैसों से चलने वाले कुल 52,156 एनजीओ व संस्थानों में से अभी सिर्फ 14,435 ही सक्रिय हैं। 22,496 के पंजीयन रद्द किए जा चुके हैं तथा 15,225 पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। नियमानुसार, पंजीकरण रद्द होने के बाद ऐसी संस्थाएं FCRA के अंतर्गत विदेशी योगदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकतीं। इसलिए इन सभी संस्थाओं को अपने पंजीयन को नवीनीकृत कराना ही चाहिए।

कार्रवाई के उदाहरण–ग्रीन पीस इंडिया पर 2015 में FCR। नियमों के उल्लंघन के कई आरोप लगे थे। इनमें विदेशी योगदान के निर्धारित बैंक खाते से बाहर लेन–देन, योगदान की गलत/कम रिपोर्टिंग, प्रशासनिक खर्च की सीमा से अधिक व्यय, विदेशी NGO से भारतीय NGOs/Activist के कानूनी खर्च को सहायता और अन्य अनुपालन संबंधी मुद्दे शामिल थे। गृह मंत्रालय ने जांच के बाद उसका पंजीकरण निलंबित किया और आगे कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। इसी प्रकार 2025 में लद्दाख स्थित स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेन्ट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का FCRA लाइसेंस भी गृह मंत्रालय द्वारा रद्द किया गया था। देशभर में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि हर विदेशी फंड लेने वाली संस्था संदिग्ध नहीं है। भारत में अनेक संस्थाएं विदेशी सहायता के माध्यम से अस्पताल, विद्यालय, अनाथालय, आपदा राहत, ग्रामीण विकास, शोध, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सामाजिक कार्य करती हैं। FCRA का उद्देश्य ऐसी वैध गतिविधियों को समाप्त करना नहीं अपितु उसे संरक्षण देना है। सरकार की मंशा है कि वैध विदेशी सहायता का तो स्वागत होगा लेकिन विदेशी धन के दुरुपयोग को किसी भी तरह बर्दास्त नहीं किया जाएगा। जो संस्था नियमों का पालन करती है तथा पारदर्शी तरीके से हिसाब देती है, उसे या उसके प्रति किसी अन्य को संदेह का कोई कारण नहीं। आखिर धन की आवश्यकता तो सभी व्यक्तियों समाज और सरकारों को है।

ईसाई संस्थाओं द्वारा इतना भ्रम और विरोध क्यों?

इस अधिनियम में हो रहे संशोधन को लेकर सबसे अधिक राजनीतिक विवाद इस बात पर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका निशाना चर्च या ईसाई संस्थाएं हैं। वास्तव में FCRA का ढांचा ना तो किसी एक धर्म विशेष के लिए बनाया गया और ना ही किसी धर्म का उसमें जिक्र है। हाँ, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े संगठन भी तभी विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं, जब वे कानून की निर्धारित शर्तों का पालन करें। हालांकि, पीछे अनेक मामलों में चर्च व उससे जुड़ी अनेक संस्थाओं द्वारा विदेशी धन का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार भारत की धर्म–प्राण जनता का अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा था, यह विषय भी किसी से छुपा नहीं है। कानून को धता बताते हुए देश के अनुसूचित क्षेत्रों में बने अनेक अवैध चर्च, मस्जिदें, मदरसे तथा अन्य मजहबी संस्थान तथा उनकी कारगुजारियाँ भी सर्व विदित हैं। शायद इसीलिए उन्हीं के मन में डर है जिनको पकड़े जाने का भय है! हमारे यहाँ यदि कोई संस्था ईमानदारी से धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक सेवा कर रही है और विदेशी धन का वैधानिक उपयोग कर रही है, तो उसे केवल विदेशी सहायता प्राप्त करने के कारण संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता अपितु उसका सार्वजनिक सम्मान किया जाता है। किन्तु यह भी स्पष्ट रहे कि किसी की धार्मिक पहचान उस संस्था को भारतीय कानूनों से ऊपर भी नहीं रख सकती। यदि हम सही हैं तो कानून का विरोध क्यों और उससे डरने या डराने के प्रपंच क्यों!

विदेशी धन बनाम विदेशी प्रभाव–

असल बहस विदेशी धन को रोकने या अनुमति देने की नहीं अपितु, उस धन के माध्यम से हो रहे विदेशी प्रभाव को समझने की है। विदेश से आया पैसा यदि किसी अस्पताल में मरीज का इलाज करता है, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में लगता है, किसी प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाता है या किसी वैज्ञानिक शोध में उपयोग होता है, तो वह मानव कल्याण का माध्यम हो सकता है। लेकिन यदि वही पैसा देश के भोले भाले लोगों के अवैध धर्मांतरण करने, उसकी सामाजिक संरचना को प्रभावित करने, राजनीतिक वातावरण को निर्देशित करने, हिंसक अथवा विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने या स्वदेशी कानून को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह अस्वीकार्य है।

देश में विदेशी धन की प्रयोगकर्ता प्रत्येक संस्था को भी विदेशी धन का पूरा स्रोत बताना चाहिए। ❑ प्राप्त धन और खर्च का सही हिसाब देना चाहिए। ❑ निर्धारित बैंकिंग व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ❑ विदेशी योगदान को निर्धारित उद्देश्य व क्षेत्र के लोगों में ही खर्च करना चाहिए। ❑ संबंधित दस्तावेज और लेखे समय पर प्रस्तुत करने चाहिए। ❑ विदेशी दान और भारतीय संस्था के बीच किसी भी संदिग्ध वित्तीय या राजनीतिक संबंध को छिपाना नहीं चाहिए। यही तो वास्तविक पारदर्शिता है।

स्मरण रहे कि देशी और कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में जिस प्रकार का भ्रम और दुष्प्रचार फैलाया गया वैसे ही कुछ पापी पादरी, षड्यंत्रकारी चर्च, भड़काऊ भाई जान और कुछ अन्य संस्थाएं आज कल भारत विरोधी ऐसे झूठे अभियान चला रही हैं जिनसे देश को सावधान रहना होगा। देश में विदेशी धन आए लेकिन भारतीय कानून के रास्ते से। सेवा होकृलेकिन पारदर्शिता के साथ। धार्मिक या सामाजिक कार्य भी होंकृलेकिन संविधान और कानून के दायरे में रह कर। हमारे राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी विदेशी धन पर बिना भेदभाव, बिना दबाव और बिना डर के कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। यही एक संप्रभु और आत्मविश्वासी भारत की नीति है। हमें धन का "दान" चाहिए, "दानव" नहीं।

आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट -1 , नई दिल्ली

रविवार 9 अगस्त 2026 आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 नई दिल्ली में आर्य सम्मेलन का निमंत्रण देने अनिल आर्य पहुंचे, उनका स्वागत करते करते योगेश मुंजाल जी, आचार्य वीरेंद्र विक्रम के प्रवचन हुए। प्रधान राजेन्द्र वर्मा एवं मंत्री अरुण बहल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

फरीदाबाद में युवा संस्कार सम्पन्न

बुधवार, 12 अगस्त 2026, बच्चों को संस्कारों के प्रति जागरूक करने के लिए माता–पिता, समाज और गुरुजनों की विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि संस्कार ही बच्चों में देशभक्ति, मातृ–पितृ सेवा और गुरुजनों के प्रति आदर की भावना को समावेश करता है। यह बात आर्य समाज सेवा सदन बल्लभगढ़ के प्रधान जितेन्द्र आर्य ने ग्रेटर फरीदाबाद स्थित श्रद्धा मंदिर स्कूल में केन्द्रीय आर्य युवक परिषद फरीदाबाद के तत्वावधान में युवा संस्कार कार्यक्रम में 500 से अधिक बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर आर्य केन्द्रीय युवक परिषद् हरियाणा के महामन्त्री डॉ. वीरेन्द्र योगाचार्य ने कहा कि परिषद् हमेशा युवाओं को सशक्त करने, देशभावना से जोड़ते और युवाओं के चरित्रा निर्माण के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। प्रिंसीपल डा. गजरात सिंह आर्य ने आश्वस्त किया कि वे हमेशा ऐसी सामाजिक संस्थाओं को आमन्त्रण देते हैं जो बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रेरित करते हैं।

उनकी तुरबत पर नहीं एक भी दिया,
जिनके खूँ से जले थे चिरागे वतन।
आज महकते है मकबरे उनके,
जिन्होंने बेचे थे शहीदों के कफन।।

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद की केन्द्र सरकार से माँग

स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान भवन

नया बाजार दिल्ली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो

वसंत कुंज का वार्षिकोत्सव सम्पन्न

रविवार 9 अगस्त 2026, आर्य समाज वसंत कुंज नई दिल्ली का वार्षिकोत्सव सम्पन्न हुआ। आचार्य वागीश जी के प्रवचन हुए और संगीता आर्य गीत के मधुर भजन हुए। चित्र में विद्ययोतमा झा व प्रवीण झा का अभिनंदन करते अनिल आर्य, आचार्य वागीश जी, अतुल सहगल ओमप्रकाश यजुर्वेदी।

जीन्द में शिक्षक दिवस सम्पन्न

केंद्रीय आर्य युवक परिषद जींद के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल अर्बन एस्टेट जींद में माननीय डॉ कृष्ण लाल मीढ्ढा जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय कार्य युवक परिषद की कार्यों की सराहना की और इस कार्यक्रम में ₹50000 की घोषणा की, कार्यक्रम के आयोजक जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण दहिया ने बताया की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी की प्रेरणा से जींद के लगभग 85 प्रतिष्ठित अध्यापकों व प्राध्यापिकों को सम्मानित किया।

माता राम प्यारी का निधन

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण आर्य की पूज्य माता राम प्यारी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

आर्य जगत की और से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

प्रवीन आर्य को मातृ शोक

जहां होता है भरपूर काम और प्रभु का गुणगान
आर्य युवक परिषद् है उसका नाम

आर्य युवा संस्कार अभियान का शुभारंभ

माता,पिता व गुरुओं का करें सम्मान –अनिल आर्य

नई दिल्ली, रविवार 2 अगस्त 2026, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में श्रावणी पर्व के उपलक्ष में युवा संस्कार कार्यक्रम आर्य समाज महावीर नगर, तिलक नगर में आयोजित किया गया। यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य माया राम शास्त्री ने यज्ञ संपन्न करवाया जिसमें 80 बच्चों ने यज्ञोपवीत धारण किया कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद यशपाल आर्य ने की एवं संचालन दिनेश आर्य ने किया। मुख्य अतिथि केन्द्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने स्वास्थ्य जांच शिविर का भी उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने माता–पिता व गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही ईश्वर विश्वासी देश भक्त होना चाहिए। समाज के अंदर पाखंड अन्धविश्वास बढ़ रहा है जिसके लिए आर्य जनों को जनजागरण करने की आवश्यकता है। आज आर्य समाज की पहले से अधिक आवश्यकता हो गई है युवाओं के संस्कारित होने से ही राष्ट्र स्वतरू उन्नत होगा। समाजसेवी अमित कोहली, रामकृष्ण, मोहनी देवी आर्या एवं नरेंद्र आर्य आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मीडिया प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि युवा संस्कार अभियान 16 अगस्त को सम्पन्न होगा जिसके अंतर्गत 5000 युवाओं को यज्ञोपवीत धारण करवाये जाएंगे।

सुल्तान पुरी नई दिल्ली में युवा संस्कार सम्पन्न

मंगलवार 11 अगस्त 2026 केन्द्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में युवा संस्कार अभियान के अंतर्गत टाटा पावर स्टेशन जगदंबा मार्केट सुल्तान पुरी नई दिल्ली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया ु राष्ट्रीय महासचिव महेन्द्र भाई ने यज्ञ करवाया और पिंकी आर्य के मधुर भजन हुए स कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी दशरथ भारद्वाज ने की परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य.कोषाध्यक्ष धर्मपाल आर्य ने अपनी शुभकामनाएं प्रदान की कार्यक्रम का कुशल संचालन राधा भारद्वाज ने किया

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् द्वारा 2020 से 798वां वेबिनार सम्पन्न

धार्मिकता का सही आंकलन विषय पर गोष्ठी सम्पन्न

धर्म पूरे संसार को, बल्कि ब्रह्मांड को चलाता है –अतुल सहगल

सोमवार, 3 अगस्त 2026, केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्त्वावधान में धार्मिकता का सही आकलन विषय पर ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कोरोना काल से 797 वाँ वेबीनार था। वैदिक प्रवक्ता अतुल सहगल ने विषय की भूमिका प्रस्तुत करते हुए वर्तमान विश्व के परिपेक्ष में इस विषय की महत्ता को सामने रखा। उन्होंने सबसे पहले भारतीय संस्कृति और साहित्य के आधार पर यह बताया कि धार्मिकता का वास्तविक अर्थ क्या है। अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता के सही अर्थ की चर्चा की। वक्ता ने लगभग वे सभी दृष्टिकोण व परिस्थितियों के उदाहरण प्रस्तुत किये जो सामान्य सामाजिक व्यवहार में धार्मिक बातें या कृत्य समझे जाते हैं पर वास्तव में अधार्मिक हैं। साथ ही धार्मिकता का मूल अर्थ सामने रखा और उसे मानवतावादी कृत्य बताया। उसे शांति और समृद्धि बढ़ाने वाला कृत्य बताया। स्वामी दयानन्द द्वारा दी गयी धर्म की परिभाषा और फिर मनुस्मृति में दी हुए धर्म के दस लक्षणों के आधार पर प्रतिपादित धर्म की परिभाषा की चर्चा की। यह परिभाषा विस्तृत और सम्पूर्ण है। इसी के सन्दर्भ में वक्ता ने धर्म के प्रत्येक लक्षण की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए उसे धार्मिकता की कसौटी व मापदंड ठहराया। वक्ता ने वे महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हुए जो कि धर्म के दस लक्षणों से जुड़े हुए हैं, धार्मिकता की प्रचलित त्रुटिपूर्ण धारणाओं की चर्चा की। धर्म पूरे संसार को, बल्कि ब्रह्मांड को चलाता है। धर्म पंथ और मत से ऊपर है। धर्म नित्य है, ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए धार्मिकता भी उसी आधार पर समझी जाये और आँकी जाये।वक्ता ने बड़े विस्तार से अनेक बिंदु रखते हुए वताया की धार्मिकता क्या है और धार्मिकता क्या नहीं है। वक्ता ने किसी व्यक्ति की धार्मिकता के स्तर के आंकलन के महत्व को समझाया। यह भी बताया कि ऐसे सही आंकलन के दैनिक व्यवहारिक जीवन में क्या लाभ हैं। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है।इसलिए सही मानव धर्म को पहचानो और उसका पालन करते हुए उन्नत जीवन जियो। मुख्य अतिथि आर्य नेता आनंद सिंह आर्य (करनाल) व अध्यक्ष आर्य नेत्री उषा मलिक ने धर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य ने कुशल संचालन किया व प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण आर्य ने धन्यवाद ज्ञापन किया।गायिका कौशल्या अरोड़ा,जनक अरोड़ा,कमला हंस,अनुराधा आनंद,प्रतिभा कटारिया,सुधीर बंसल आदि के मधुर भजन हुए।

सम्पादक: **अनिल कुमार आर्य** द्वारा केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के लिए **मंयक प्रिंटर्स**, 2199/63, नाईवाला, करोलबाग, दिल्ली-5 दूरभाष : 41548503 **मो.**: 9810580474 से मुद्रित व परिषद् कार्यालय आर्य समाज टी-176-177, कबीर बस्ती, दिल्ली-7 से प्रकाशित, **प्रबन्धक** : दिनेश आर्य, मोबाइल : 9911587765, देवेन्द्र भगत, मोबाइल : 09958889970